न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
11/2019	प्रा0पत्र 144 CPC	14.05.2019	24.05.2019

1. असलम पुत्र उस्मानगनी जाति व्योपारी निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू (राज.)
2. हाकिमअली पुत्र मोहम्मदईशाक खां जाति कायमखानी निवासी चूरू (राज.)

—प्रार्थीगण—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय, चूरू

—अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र राहड़ प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज उपस्थित।

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि इस न्यायालय में दावा संख्या 165/2012 सरकार बनाम असलम वगैरा अन्तर्गत धारा 177 काश्तकारी अधिनियम का खेत ख.नं. 139 तादादी 2 बीघा 9 विश्वा वाके रोही कस्बा चूरू की संयुक्त खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से चली आ रही थी जिसको इसी न्यायालय द्वारा दावा सं. 165/2012 के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2017 को उक्त कृषि भूमि को सिवाय चक घोषित किया गया जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में दिनांक 01.08.2017 को किया गया है। नामान्तरकरण सं. 2987 की प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2017 के खिलाफ प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील संख्या 04/2019 को पेश की गई जिसका निर्णय व डिक्री 29.04.2019 को पारित की गई जिसमें इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2017 को अपास्त किया गया। यह कि राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील नं. 04/2019 असलम आदि बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2019 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांक 17.07.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेख में जो इन्द्राज निर्णय व. डिकी दिनांक 17.07.2017 की अनुपालना में किया गया वह इन्द्राज कानूनन हटाये जाने योग्य है व राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा इस न्यायालय की निर्णय व डिक्री को अपास्त किया गया है ऐसी स्थिति में वादगत कृषि भूमि बाबत राजस्व अभिलेख में दिनांक 17.07.2017 की पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में अंकित की जावे। यह कि राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2019 की अनुपालना में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2017 के आधार पर दर्ज राजस्व अंकन को हटाया जाकर दिनांक 17.07.2017 के पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार, चूरू को आदेशित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। वादगत कृषि भूमि का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय व डिकी की पालना में दिनांक 17.07.2017 से पूर्व राजस्व अभिलेख का इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार, चूरू पैरोकार राज उपस्थित हुए। पैरोकार राज की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दु सं. 1 व 2 प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दु सं. 3 कानूनी है। पैरोकार राज ने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित माननीय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवम् पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा असलम आदि बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 29.04.2019 से श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, चूरू के निर्णय दिनांक 17.07.17 को अपास्त कर दिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ख.नं. 139 तादादी 2 बीघा 9 विश्वा वाके रोही चूरू की दिनांक 17.07.17 से पूर्व की स्थिति की जानी नियमानुसार है। जवाब प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र में जवाब पेश होने पर वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थीगण एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जब माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने अपील निर्णय दिनांक 29.04.2017 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांक 17.07.2017 जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है, को अपास्त कर दिया है तो कानूनन रूप से अपास्त किये गये आदेश या निर्णय से जो अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया है वह स्वतः ही निरस्त योग्य है। इसलिए कानूनी प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं इस न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांक 17.07.2017 के द्वारा दर्ज अंकन को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दिनांक 17.07.2017 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश तहसीलदार, चूरू को दिये जावें।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय आर.ए.ए. बीकानेर ने अपने अपील निर्णय में इस न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांकित 17.07.2017 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है जिसमें पर्याप्त साक्ष्य-सबूत, सुनवाई एवं बहस के बाद गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। माननीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिकी को अपास्त कर देने से वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दिनांक 17.07.2017 से पूर्व की स्थिति कायम की जानी नियमानुसार है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जवाब पैरोकार राज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण व पैरोकार राज की बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2017 की पालना में दर्ज किये गये अंकन को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2019 की अनुपालना में दिनांक 17.07.2017 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन किया है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर ने अपनी अपील संख्या 04/2019 अनुवानी असलम आदि बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2019 में इस न्यायालय के दावा सं. 165/2012 के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2017 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई कर विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करने हेतु रिमाण्ड किया है। पैरोकार राज ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि अपील संख्या 04/2019 जो कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.04.2019 को इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त कर पुनः सुनवाई के निर्देश दिये हैं। इसलिए राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति बहाल की जानी नियमानुसार है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिस निर्णय व डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया गया है जब वही निर्णय व डिक्री माननीय न्यायालय आर.ए.ए. द्वारा अपास्त किया जा चुका है तो उस निर्णय व डिक्री के आधार पर किया गया परिवर्तन भी अपास्त किये जाने योग्य हो चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 17.07.2017 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया है कि माननीय न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त कर देने से वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति बहाल की जानी नियमानुसार है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के मध्यनजर यह स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2019 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2017 को अपास्त कर पुनः सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने का आदेश दिया है। माननीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2017 को अपास्त कर देने से उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2019 की पालना में वादगत राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन स्वतः ही निरस्त योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया उक्त वादगत राजस्व रिकार्ड में दिनांक 17.07.2017 से पूर्व की स्थिति बहाल करवाने के हकदार हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का उचित होने से स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 139 तादादी 2 बीघा 9 विश्वा वाके रोही कस्बा चूरू के राजस्व अभिलेख में दिनांक 17.07.2017 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
चूरू